

## हुक्मनामा

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

प्रकरण संख्या पत्थर गढी 126 / 2022

दिनांक 26.5.2022

भोजराज पिता धीसुलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी तह0  
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

-प्रार्थी

## बनाम

1. भंवरलाल पिता तोलीशमजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. संजय पिता हरीशंकरजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी बोराखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

-विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

## आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाकं मौजा बोराखेडी पटवार हल्का बडोली माघोसिंह तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 201 की आराजी नं0 1095/527 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, आराजी नं0 534 रकबा 0.1600 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.2500 हेक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया हैं विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि कं पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे प्रश्नगत भूमि के खातेदार कास्तकार है जिन्हे अपनी खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति मे,



किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थी की खातेदारी की वाके मौजा बोराखेडी पटवार हल्का बडोली माघोसिंह तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 201 की आराजी नं0 1095/527 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, आराजी नं0 534 रकबा 0.1600 हेक्टेयर कुल किलता 2 कुल रकबा 0.2500 हेक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे मे दखल दिये बगैर पत्थरगढी करें। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

अतः आज दिनांक 26.5.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखंड न्यायाधीश निम्बाहेडा  
बिन्वाहेडा (वित्तोद्गद)